

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.3(ग) / एसीपी 92 (स्प०) / अलेरो-पा / २००६।-६८ दिनांक:- २५.०२.२०१४

आदेश संख्या ३८६ / २०१३-१४

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम/2008 / दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ11(7) वित्त (नियम) पार्ट—I / 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे—वेण्ड 2(9300—34800) ग्रेड पे 4200/- एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 14(88)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 5 अलाइ 2013 के अनुसरण में दिनांक 1.7.2013 से ग्रेड पे 4800/- में रवीकृत की जाती है।

क्र.सं.	नाम लेखाकार सर्व श्री	जन्मतिथि	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
01.	प्रभाती लाल मीणा	20.04.1967	24.01.95	24.01.13	.
02.	ओमप्रकाश रैगर	10.04.1968	23.01.95	23.01.13	

उक्त लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी धोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्यासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

उपरोक्त कम संख्या 1 पर उल्लेखित लेखाकार के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह मुद्रणेश्वत किया जावें कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है एवं एसीपी स्वीकृति तिथिये को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जाव लम्बित नहीं है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावें।

वीरबाला जोशी
निदेशक

प्राक्ति- एफ.3(ग) / एसीपी 92 (स्पेव) / अल्लरोडा / २०१६-८५ दिनांक:- २५.०२.२०१४

प्रतिलिपि गिन्नांकित को सच्चार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष
 - श्री..... कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय
 - निजी सहायक, निदेशक महोदया
 - अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1) (गोपनीय शास्त्रा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त लेखाकार के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खाले जाने के प्रस्ताव इस शास्त्रा को प्रेषित करें।
 - उपनिदेशक(एसीपी) / निजी/गार्ड फाईल |

Zhuor
(केएम०मीणा)

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-१)